

Tender Form sale upto 01.00 pm 13.12.2017  
Tender Receipt upto 02.00 pm 13.12.2017  
Tender Opening 03.00 pm 13.12.2017  
Estimated Cost Rs 01.50 Lacs  
Earnest money Rs 3,000/-

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड  
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2018, जोधपुर  
दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018

निविदा सूचना संख्या: प.रा.उ./2018/04

निविदा फार्म शुल्क 200/-

- विषय जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की जानी है।  
सिरकियों के कलात्मक गेट, वाच टॉवर व शिल्पग्राम के रूप में स्टालों की स्थापना :-
- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम  
व डाक का पता मय टेलीफोन नं. सहित  
मैसर्स .....  
डाक का पता : .....  
.....  
टेलीफोन नं. : .....  
पैन नं. ....  
जीएसटी नं. ....
- निविदा सूचना संख्या: प.रा.उ./2018/04 जो " दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि., उद्योग भवन, जयपुर के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिये हम सहमत हैं, तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो सलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। तथा पालन करने के लिये हम सहमत हैं।
- कार्य आदेश की प्राप्त होने की दिनांक से 10 दिवस में अथवा दिनांक 03.01.2018, जो भी पहले हो, तक कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। अन्यथा निगम द्वारा निर्धारित हर्जाने का जिम्मेदार रहूँगा।
- अमानत राशि हेतु दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में जयपुर में देय राशि ..... रूपये का डिमान्ड ड्राफ्ट या रोकड जमा की रसीद संख्या ..... दिनांक..... दर्शावें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड  
पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2018, जोधपुर  
दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018

शिल्पग्राम के रूप में स्टालों की स्थापना

“शिड्यूल एच”

धरोहर राशि 3000/-

क्रसं.	कार्य का विवरण	प्रस्तुत मेला अवधि दर
1.	बांस बलियों पट्टी तथा सिरकिया से 15 फुट व्यास तथा 25 फुट उचाई में गोलाकार टावर बनाना टावर मछान के रूप में काम लिया जायेगा, टावर पर चढने के लिए सिडियों का निर्माण करना। जिसकी मजबुती कार्य के अनुरूप होनी चाहिए।	प्रति नग
2.	बांस बलियों पट्टी तथा सिरकियों से साईज 8'x 8' दुकानों का निर्माण करना, फर्श गोवर से निपना, तथा माण्डनों का लेखन कर आकर्षक बनाना।	प्रति नग

प्रदत्त दरे जी.एस.टी. के अतिरिक्त समस्त कर/उपकर सहित है । जी.एस.टी. नियमानुसार अलग से देय होगा ।

संलग्न निविदा की सभी शर्तें हमें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय नाम  
पोस्टल पत्ते के साथ

दूरभाष सं.  
मोबाईल सं.

**दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड**  
**पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव-2018, जोधपुर**  
**दिनांक 05.01.2018 से 14.01.2018**

**कार्य का नाम :- सिरकियों के कलात्मक गेट, वाच टॉवर व शिल्पग्राम के रूप में स्टालों की स्थापना**

1. निविदादाता को निविदा बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी ।
2. लिफाफा में निविदादाता निम्न दस्तावेज/सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा ।
  - अ. निविदादाता के पास उपलब्ध सामान की सूची प्रस्तुत करें ।  
निविदादाता के स्वयं के पास निविदा में दर्शाई गई मात्रा में सामान उपलब्ध होना आवश्यक है ।
  - ब. निविदादाता को बड़े उत्सव, मेला एवं प्रदर्शनी आयोजन में टेन्ट व्यवस्था का अनुभव होना आवश्यक है । बड़े आयोजन से तात्पर्य यह है कि निविदादाता ने किसी विशेष मेला अथवा प्रदर्शनी आयोजन में कम से कम 30 दुकानें लगाने का कार्य किया हो । निविदादाता द्वारा 30 दुकानें लगाने का कार्य के संतोषप्रद निष्पादन का प्रमाण-पत्र मय कार्य आदेश प्रस्तुत करेगा । इसके अभाव में किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा । केवल अनुभवी निविदादाताओं को ही कार्य आवंटन किया जावेगा ।
  - स. धरोहर राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट या रोकड़ जमा करायी हो तो रसीद सं.----- व दिनांक----- ।
  - द. जी.एस.टी./बिक्रीकर/सेवाकर, पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं क्लीयरेन्स प्रमाण-पत्र संलग्न करें । शिड्यूल एच में किसी प्रकार की शर्त अंकित नहीं करेगा और न ही प्रस्तुत दरों में कौट छोट करेगा अन्यथा निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी ।
3. आदेश प्राप्ति के पश्चात् 2 दिन में 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी । धरोहर राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि में कर दिया जावेगा ।
4. मेला अवधि सम्भावित 2 दिवसों की बढोतरी अधिकतम हो सकती है । इस स्थिति में किसी तरह का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा ।
5. किसी प्रकार की टूट फूट, कमी-बेसी एवं किसी प्रकार की क्षति के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा । तथा सामान की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी मय अग्नि के लिए ठेकेदार स्वयं की होगी । इस हेतु उचित व्यवस्था/बीमा इत्यादि व्यय स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी ।
6. सामान की तादाद आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है ।
7. सामान को कार्यक्रम के पूर्व/पश्चात्, हटाने लगाने एवं परिवहन इत्यादि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
8. सामान लाने व ले जाने का कोई अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा ।
9. अन्य स्थानों पर सामग्री ठेकेदार स्वयं को अपने खर्च पर पहुँचा कर लगानी होगी । सामान अच्छा व साफ सुथरा ही स्वीकार होगा । कार्य चालू करने से पूर्व लगाये जाने वाले सामान की कार्यपालक इन्जिनियर/अधिकारी द्वारा जाँच कराई जायेगी ।
10. उपरोक्त सभी स्टॉल एवम अन्य कार्य पूर्णतया बनकर दिनांक 03.01.2018 सायं पाँच बजे तक तैयार हो जाना चाहिये ।
11. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा । मेले में लगी हुई सभी वस्तुओं का सत्यापन गठित कमेटी से मेले की चालू अवधि में करवाने की जिम्मेवारी ठेकेदार स्वयं की होगी व मेले में लगे हुए माल का सत्यापन मेला शुरू होने के 4 दिवस के भीतर करवाना होगा । भुगतान नियमानुसार सभी करो की कटौती करने के उपरान्त बैंक द्वारा किया जायेगा ।  
उपर वर्णित शेड्यूल के अलावा उत्सव स्थल पर ओर कोई भी कार्य कराने हेतु निगम समिति स्वतन्त्र होगी । विवाद की स्थिति में 10 से 25 प्रतिशत की राशि रोक दी जावेगी तथा उसका भुगतान विवाद समाप्ति के पश्चात् आदेशानुसार किया जावेगा ।
12. कार्य का निष्पादन मेला समन्वयक/गठित कमेटी के निर्देशानुसार निर्धारित दिनांक 03.01.2018 को साँच पाँच बजे तक पूर्ण करना होगा ।
13. सामान की क्वालिटी- नए, साफ सुथरा होनी चाहिए । कारपेट मेंटिंग इत्यादि की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एवं साफ सुथरी होनी चाहिए ।
14. दरें जी.एस.टी. के अतिरिक्त सभी करों सहित प्रस्तुत करनी होगी । जी.एस.टी. नियमानुसार अलग से देय

- होगा ।
15. जी.एस.टी./बिक्री एवं सेवा कर सम्बन्धी पंजियन प्रपत्र एवं क्लीयरेन्स प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, उसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
  16. मेला समाप्ति के पश्चात् स्टॉलो के निर्माण में काम में ली गई सामग्री निविदादाता ले जा सकेगा।
  17. शिल्पग्राम में भारत-सरकार/ राजस्थान सरकार के स्वच्छता अभियान का विशेष ध्यान रखा जावे।
  18. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
  19. पूर्व में जिन निविदाकारों ने उत्सव में कार्य किया उनका आचरण/व्यवहार तथा मेलाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना भी निविदा स्वीकृति/ अस्वीकृत का महत्वपूर्ण कारक होगा।
  20. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार आयोजन निगम को होगा।
  21. कार्य आदेश प्राप्ति के दो दिवस के भीतर 500/- ₹0 के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
  22. सक्षम स्वीकृति के अभाव में किये गये अतिरिक्त कार्य का कोई भुगतान नहीं होगा। कार्य समय पर व संतोषजनक न पाये जाने पर निगम लगाने हेतु अधिकृत होगी।
  23. निम्न मामलों में अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी:-  
 अ. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से पूर्व अपनी दर वापस लेता या उसमें संशोधन करता है।  
 ब. जब निविदा दाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार का निष्पादन नहीं करता है तथा आदेश के बाद धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है।  
 स. आदेश के बाद कार्य पूर्ण करने में असमर्थ रहता है।
  24. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाड़े (सबलेट) पर नहीं देगा।
  25. असफल निविदादाता की अमानत राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटा दी जावेगी।
  26. सा. वि. एवं ले. नि. भाग II के नियम 68 के प्रारूप सं. 16 में खुली निविदा के लिए शर्तें प्र. सं. 1 से 42 तक लागू रहेगी जो कि मुझे मान्य है।
  27. अपरिहार्य कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा, महामारी इत्यादि की वजह से उत्सव आयोजन स्थगित या निरस्त भी किया जा सकता है। जिसके लिये निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा जब भी उक्त उत्सव आयोजित किया जायेगा तब समस्त कार्य उक्त निविदा में स्वीकृत दरों पर ही करना होगा।
  28. सेवा कर एवं अन्य देय करों के भुगतान की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील  
टेलीफोन नं. व पता सहित

निम्न संलग्न करें :-

1. जी.एस.टी./बिक्रीकर/सेवाकर पंजियन प्रमाण पत्र/चुकता प्रमाण पत्र।
2. सिरकियो व्यवस्था या कार्य आदेशों की प्रतियाँ।
3. धरोहर राशि जमा रसीद की छाया प्रति।